



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-4/का.आ./157

दिनांक 13.10.2023

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 28-ऑडिट (रूल्स)-8-2009 दिनांक 20.05.2009 के साथ प्राप्त भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन क्रमांक 35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.05.2009 द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु दिनांक 1.9.2008 से लागू "परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना" के तहत निम्नलिखित संभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-2 को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से द्वितीय वित्तीय उन्नयन पे मेट्रिक्स के लेवल-7 से लेवल-8 पर किया जाता है। यह वित्तीय उन्नयन उक्त योजना के तहत लागू नियमों एवं निबंधों के अधीन होगा।

क्रमांक	संभागीय लेखा अधिकारी-2 का नाम सर्वश्री	दिनांक, जिससे एम.ए.सी.पी. का लाभ दिया जाता है	पे मेट्रिक्स
1	मधुसूदन कुमार, (MPE2110137)	01.01.2023	लेवल-8
2	सुधीर कुमार बोकाडे, (MPE2110138)	01.01.2023	लेवल-8
3	नवनीत गुप्ता, (MPE2110139)	01.01.2023	लेवल-8
4	कुलदीप राजपूत, (MPE2110140)	01.01.2023	लेवल-8
5	शैलेन्द्र त्रिपाठी, (MPE2110141)	01.01.2023	लेवल-8
6	शशि कांत सिन्हा, (MPE2110142)	01.01.2023	लेवल-8
7	सैयद सुजात हुसैन, (MPE2110143)	01.01.2023	लेवल-8

उपरोक्त परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION) संबंधित अधिकारियों को डी ओ पी टी कार्यालय जापन संख्या 36012/11/2016-स्था.(Res-1)(Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 एवं मुख्यालय के पत्र संख्या 790-LC/280-2019 दिनांक 6.12.2021 में दिए गए शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है। अतः उपरोक्त देय परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION) मुख्यालय/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से परस्पर वरिष्ठता पर मामले के अंतिम निर्णय/अंतिम परिणाम के अधीन है। इसलिए अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के किसी भी समय, यदि आवश्यक हो तो परिस्थिति अनुसार उपरोक्त परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION) वापस लिया जा सकता है।

उक्त समस्त संभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-2 इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार (लेखा/हक)-प्रथम,म.प्र. के आदेश दिनांक 13.10.2023


उप महालेखाकार(निर्माण लेखा)

पृ.क्र./नि.वि/स.4/ 1-1419

दिनांक:- 13/10/23

प्रतिलिपि:-

- क्रमांक 1 से 7 पर दर्शाये गये संभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-2
- क्रमांक 1 से 7 पर दर्शाये गये संभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-2 के संबंधित कार्यपालन यंत्रि।
- उप-निदेशक, डाक एवं तार (लेखा परीक्षा) संचार भवन, अनेक्सी, अरेरा हिल्स, भोपाल

4. श्री एच.के.मीणा, महासचिव, म.प्र. संभागीय लेखाकार/संभागीय लेखाधिकारी संघ भोपाल कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संघारण संभाग क्रमांक -2, भोपाल
5. गोपनीय सहायक/उप-महालेखाकार (लेखा) स्थानीय ।
6. पदक्रम सूची ।
7. कार्यालय आदेश नस्ती ।
8. व्यक्तिगत नस्ती ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1